

सयिका रा10-7/बजाट 46 41/2024-25

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

- 62(7)

प्रेषक,

शंभु शरण भा0प्र0से0.
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 04/06/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय माध्यम से PM-ABHIM अन्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSII मद मे केन्द्रांश मद की राशि रू0 30,00,00,000/- (रूपये तीस करोड) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड) मात्र सहित कुल राशि रू0 50,00,00,000/- (रूपये पचास करोड) मात्र के विरुद्ध मे वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि रू0 30,00,00,000/- (रूपये तीस करोड) मात्र एवं राज्यांश मद से रू0 2,00,00,000/- (रूपये दो करोड) मात्र सहित कुल राशि रू0 32,00,00,000/- (रूपये बत्तीस करोड) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्राक-1030 दिनांक-26.05.2025 के द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2025-26 मे राजकोषीय माध्यम से PM-ABHIM अन्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSII मद में केन्द्रांश मद की राशि रू0 30,00,00,000/- (रूपये तीस करोड) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड) मात्र सहित कुल राशि रू0 50,00,00,000/- (रूपये पचास करोड) मात्र के विरुद्ध मे वर्तमान मे केन्द्रांश मद की राशि रू0 30,00,00,000/- (रूपये तीस करोड) मात्र एवं राज्यांश मद से रू0 2,00,00,000/- (रूपये दो करोड) मात्र सहित कुल राशि रू0 32,00,00,000/- (रूपये बत्तीस करोड) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को Virtual Allotment के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है ।

2- उक्त वर्णित परिस्थिति में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय माध्यम से PM-ABHIM अन्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH मद में केन्द्रांश मद की राशि ₹ 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से ₹ 20,00,00,000/- (रुपये बीस करोड़) मात्र सहित कुल राशि ₹ 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड़) मात्र के विरुद्ध में वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि ₹ 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) मात्र एवं राज्यांश मद से ₹ 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) मात्र सहित कुल राशि ₹ 32,00,00,000/- (रुपये बत्तीस करोड़) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा PM-ABHIM के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से प्रथम Mother Sanction द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत है -

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR					
Details of Fund received from Govt of India (2025-26)					
Sl No	Letter No.	Date	Amount (Central Shares-60%)	Amount State Shares-40%	Total
	PM-ABHIM अन्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH Platform				
1	G 27018/07/2025-26/NHM-F/FIS-8329314	22-05-2025	30,00,00,000	20,00,00,000	50,00,00,000
	Total		30,00,00,000	20,00,00,000	50,00,00,000

4- केन्द्रांश मद की उपबधित राशि की निकारी अधोलिखित विपत्र कोडों में उपबधित राशि से विकलनीय होगा -

- माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- 110-अस्पताल तथा औषधालय-0220-प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210011100220 पी0एफ0एम0एस0 कोड-3991, 53 01 मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबधित राशि कुल ₹ 75,00,00,000/- (रुपये पचहत्तर करोड़) मात्र में से ₹ 24,83,00,000/- (रुपये चौबीस करोड़ तिरासी लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- 789-अनुरूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 0201-प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210017890201 पी0एफ0एम0एस0 कोड-3991, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबधित राशि कुल ₹ 13,00,00,000/- (रुपये तेरह करोड़) मात्र में से ₹ 4,78,00,000/- (रुपये चार करोड़ अठहत्तर लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(iii) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- 0201-प्रधान मंत्री -- आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210017960201 पी0एफ0एम0एस0 कोड-3991, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़) मात्र में से रु० 39,00,000/- (रुपये उन्तालीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

5- राज्यांश मद की उपबधित राशि की निकासी अधोलिखित विपत्र कोडों में उपबधित राशि से विकलनीय होगा -

(i) माग सख्या-20 के 4210-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- 110-अस्पताल तथा औषधालय- 0321-प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210011100321 पी0एफ0एम0एस0 कोड-3991, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़) मात्र में से रु० 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(ii) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ 110-अस्पताल तथा औषधालय 0304-प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210021100304 पी0एफ0एम0एस0 कोड-3991, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़) मात्र में से रु० 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

6- राज्यांश मद में समुचित राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्य घटक में रु० 14,55,33 333/- (रुपये चौदह करोड़ पचपन लाख तेतीस हजार तीन सौ तेतीस), SC घटक में रु० 3,18,66,667/- (रुपये तीन करोड़ अठारह लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र एवं SI घटक में रु० 26,00,000/- (रुपये छब्बीस लाख) मात्र अर्थात् कुल रु० 18,00,00,000/- (रुपये अठारह करोड़) मात्र अनुपूरक आगणन/ पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त होने पर आवंटित किया जा सकता है।

7- इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना कार्यान्वयन एजेसी के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु कार्यान्वयन एजेसी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को SNA SPARSH Model के अंतर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जायेगी।

8- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र सं०-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

9- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt of India के Office

62/7
04/06/2025

Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

10- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम
PM-ABHIM अंतर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH	BR212-BR Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) (3991) (GOHSPARSHIPMABHIM)	01585501143	RBI

11- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार/ भारत सरकार को उपलब्ध करायेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

12- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-41/2024-25 के पृष्ठ- 34 /टि0 पर प्राप्त है।

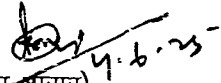
13- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

14- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

15 वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16- एतदसंबंधी आवटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु-शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक-7/बजट-46-41/2024-25- 62 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक-04/06/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

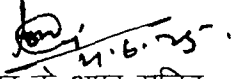
प्रतिलिपि- अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अपर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम न०-331-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न०-523-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

62(7)
04/06/2025


सरकार के अपर सचिव
Mund